

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

जिला औषधि भण्डार गृह, उदयपुर

फोन नं. 9414234778

CIN: U24232RJ2011SGC035067

GSTIN-08AAFCR2824M1Z3

Email ID [dpcudaipur@gmail.com](mailto:dpcudaipur@gmail.com)

Website: <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

क्रमांक : 93

दिनांक 22 / 06 / 2020

## खुली निविदा सूचना

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के 09 माह जुलाई 20 से मार्च 21 के लिए

कार्यालय का नाम जिला औषधि भण्डार उदयपुर हेतु कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा कार्य की दर संविदा हेतु  
प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता संस्थानों / फर्मों से दर संविदा (Rate contract) हेतु मुहरबंद निविदाएँ आंमत्रित  
को जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य (रु.)	बोली प्रतिभूति (Bid security) (रु.)	निविदा शुल्क (रु.)
1.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा	3.54 लाख	7.08	500.00

निविदा प्राप्त करने हेतु निर्धारित निविदा शुल्क राशि रु. 500/- का डिमाण्ड ड्राप्ट / बैंकर  
चैक राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., जयपुर के पक्ष में बनवाकर दिनांक 29 / 06 / 2020 को  
अपराह्न 12.00 बजे तक जिला औषधि भण्डार गृह उदयपुर से प्राप्त कर सकते हैं या निगम की बेबसाइट  
<http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> को ही अपराह्न 2:00 बजे तक जिला  
औषधि भण्डार गृह उदयपुर में जमा कराए जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उपस्थित निविदादाताओं/  
अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 29 / 06 / 2020 को सायं 3:00 बजे खोली जाएंगी।

प्रभारी अधिकारी  
जिला औषधि भण्डार गृह  
DPC-OFFICER IN-CHARGE  
DDW, RMSC, UDAYPUR  
उदयपुर

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह, उदयपुर

फोन नं. ०३१५२३५७७८

CIN: U24232RJ2011SGC035067

GSTIN- 08AAFCR2824M123 Website : <http://rmse.health.rajasthan.gov.in>

क्रमांक :

Email ID - [dcudaipur@gmail.com](mailto:dcudaipur@gmail.com)

दिनांक :



निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- कम्प्यूटर मय सेपरेटर कार्य की खुली निविदा सूचना प्रकाशित करने के क्रम में।

महोदय

पत्र के साथ संलग्न खुली निविदा सूचना छः प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। आप से अनुरोध है कि जिला उदयपुर क्षेत्र के एक क्षेत्रीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में उक्त निविदा सूचना शीघ्र प्रकाशित करने एवं प्रकाशन का बिल राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., जयपुर (जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ०३१५२३५७८) GSTIN- 08AAFCR2824M123 के नाम भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न: खुली निविदा सूचना की प्रति स्थानीय में।

प्रभारी अधिकारी  
जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि  
भण्डार गृह उदयपुर  
DPC-OFFICER IN CHARGE  
DDW, RMSC, GRANITE

प्रतिलिपि :-

- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
- कार्यकारी निदेशक (Finance/Logistic), आरएमएससी, जयपुर।
- ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि [spipr.rajasthan.gov.in](http://spipr.rajasthan.gov.in) पोर्टल एवं निगम की वैबसाइट [rmse.health.rajasthan.gov.in](http://rmse.health.rajasthan.gov.in) पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

प्रभारी अधिकारी  
जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि  
भण्डार गृह ०३१५२३५७८

अनुमति लागत ₹ 3.54 लाख  
निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 500/-  
बोली प्रतिभूति (Bid security) ₹ 7000/-

अंतिम तिथि- 29/6/20 समय:- 2:00 PM

तकनीकी निविदा प्रपत्र  
कम्प्यूटर में ऑपरेटर की दर सीमित निविदा प्रस्ताव प्रपत्र

युली

1. कम्प्यूटर में ऑपरेटर के लिए सीमित निविदा प्रस्ताव:-
2. निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,
3. खांक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाइल व ई-मेल रहित एवं पेन नम्बर
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क संत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर
5. किसको संबोधित किया गया - प्रभारी अधिकारी, जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ३८८५२
6. निविदा प्रस्ताव सूचना संदर्भ क्रमांक ९३ दिनांक २२/०६/२०
7. हम प्रभारी अधिकारी, जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ३८८५२ पर द्वारा जारी की गई निविदा प्रस्ताव सूचना संख्या ९३ दिनांक २२/०६/२० में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उवत सीमित निविदा प्रस्ताव सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्थिकार करते हैं।
8. सीमित निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में जॉब आधारित कम्प्यूटर में ऑपरेटर सेवा कार्य संबंधी दरें अंकित हैं। वस्तु एवं सेवाकर (GST) की दरें पृथक् से दर्शाई जानी हैं।
9. जॉब आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटरसेवा इकाई की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है। जॉब आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटरसेवा कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के ०२ माह (जुलाई २०२० से चाची २१) के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से ३ मीह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

23. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
24. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था जिला/~~मैडिकल~~ कॉम्प्लेज औषधि भण्डार गृह...~~उपलब्ध~~द्वारा की जाएगी। जिला/~~मैडिकल~~ कॉम्प्लेज औषधि भण्डार गृह...~~उपलब्ध~~यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
25. यदि उपकरणों की घोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस जिला/~~मैडिकल~~ कॉम्प्लेज औषधि भण्डार गृह...~~उपलब्ध~~की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का धीमा करवा सकता है।
26. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होगी। किसी भी माह में 04 कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जाएगा। यही भी पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर वरी गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौती की जाएगी।
27. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
28. यदि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर किसी कारण सेवाएँ प्रदान नहीं करता है तो सफल निविदादाता को जिला/~~मैडिकल~~ कॉम्प्लेज औषधि भण्डार गृह...~~उपलब्ध~~द्वारा सूचित करने पर 07 दिवस में अन्य व्यक्ति की सेवाएँ उपलब्ध करानी होगी अन्यथा सफल निविदादाता पर उचित पैनल्टी लगाए जाने का अधिकार जिला/~~मैडिकल~~ कॉम्प्लेज औषधि भण्डार गृह...~~उपलब्ध~~का होगा।
29. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर बढ़ि होने पर संघेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
30. यदि बाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय थेट्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
31. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:-

9. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, अनुपस्थित दिनों का वेतन आनुपातिक रूप से काट लिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कहीं से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये नये अधिक भुगतान की बसूली ठेकेदार रो की जाएगी।
10. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा।
11. उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था की होगी।
12. सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बाबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाप्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (bid Security) के रूप ने जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह काव्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि रागत होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा के स्थिति में यह पूर्ण रूप से /अंशतः जब्त की जा सकेगी।
13. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
14. सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर ब्की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।
15. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल जिला/मेडिकल सर्विसेज औषधि भण्डार गृह...उद्योगपुर पर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. (जिला/मेडिकल सर्विसेज औषधि भण्डार गृह का नाम उद्योगपुर) GST No 08AFCR2824M/23 के नाम प्रस्तुत करने हों। निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।
16. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर को प्रपत्र "ब" के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की राम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो निगम द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों एवं ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की दरों में वृद्धि की जाती है तो कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की मजदूरी का भुगतान संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।

17. कम्प्यूटर भय ऑपरेटर के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा कम्प्यूटर भय ऑपरेटर के यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर की सूची निगम को उपलब्ध करवानी होगी।
18. कम्प्यूटर भय ऑपरेटर की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा कराने की मासिक सूचना भय चालानों की प्रति के अगले माह के बिल के साथ जिला/मण्डल कॉर्पोरेशन औषधि भण्डार गृह<sup>३६२५१२</sup> को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही गत माह में कम्प्यूटर ऑपरेटरको किए गए भुगतान का विवरण भी आगामी माह के बिल के साथ निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा:-

S. No.	Name of Computer with Operator	VIN No.	Name of Office	Basic Salary	No. of Present days	Total Salary Payable	Employee's Contribution			Net Amount Paid to Computer with Operator (7-10)	Employer's Contribution			Total (7+11)	Computer Rent	Agency Service Charges	Total (15+16+ 17)
							EPR	ESI	Total (2+3)		EPR	ESI	Total (12+13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total																	
SGST																	
CGST																	
Grand Total																	

19. कम्प्यूटर उपकरणों को हमेशा चालू हालत में रखा जाएगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
20. स्थापित किए जाने सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए।
21. प्रिन्टर में प्रधुक्त होने वाला नया ट्रोनर/नया रिफल प्रथम बार सफल निविदादाता द्वारा दिया जाएगा। तत्पश्चात् विभाग द्वारा बहन किया जावेगा।
22. कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिर्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिर्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उसे अनुरूप कराया जाएगा।

23. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
24. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था जिला / मैजिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~353~~ द्वारा की जाएगी। जिला / मैजिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~353~~ यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
25. यदि उपकरणों की ओरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस जिला / मैजिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~353~~ की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का वीमा करवा सकता है।
26. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होती। किसी भी माह में 04 कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जाएगा। यह भी पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रूपये की कटौती की जाएगी।
27. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
28. यदि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर किसी कारण सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो सफल निविदादाता को जिला / मैजिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~353~~ द्वारा सूचित करने पर 07 दिवस में अन्य व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करानी होगी अन्यथा सफल निविदादाता पर उचित पैनलटी लगाए जाने का अधिकार जिला / मैजिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~353~~ का होगा।
29. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर बढ़ि होने पर संवेदक / बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
30. यदि बाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय को, जयपुर (राजस्थान) होगा।
31. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उम्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वरतु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एकट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एकट 1956 के अन्तर्गत				

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश:-

कम्प्यूटर स्पेशिफिकेशन	<p>1. Machine Specifications</p> <p>A. Computer - Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer of higher Speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard Disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel &amp; USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software licence will be borne by the contractor.</p> <p>B. Printer - Black and white laser printer with speed 15 ppm or more, For specific needs, Dot Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.</p> <p>C. UPS - Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.</p>
कैन पॉवर	<p>2. Manpower - The Personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, Good Knowledge/Practice in word processor, spread sheets and Internet operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.</p>

32. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार - बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारांतर रूप से प्रत्यक्षरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् : -

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दरानलेव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी ।

31. सत्यनिष्ठा संहिता -- उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, -
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
  - (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत्त रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
  - (ग) उपापन प्रक्रिया की पासदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
  - (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
  - (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
  - (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
  - (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
  - (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।
32. हित का विरोध --
- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी रिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संचिदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
  - (2) उन रितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
  - (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन वरने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
  - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनीतिक या अन्य वाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धिताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की रिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
  - (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे

व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना समिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहाँ उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुदुम्ब, भित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें समिलित करता है।
- (ज) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ इति के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां समिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के भार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपर्यावेदाकार को एक से अधिक बोली में समिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे संबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रक्रियाओं में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

33. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अधीकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अधीकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन हैं।

### 1 अपील—

- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके आधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभित्ति किया

जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्ति है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व—अहंता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र—र) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है दहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली रचीकार्य होने वाली पायी जाती है।

- (2) उप—धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप—धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व—अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप—धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यर्थान रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप—धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
- (4) यदि उप—धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप—धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप—धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप—धारा (2) के अधीन पारित आदेश को प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
- (5) उप—धारा (4) के अधीन अपील वर्ती प्राप्ति पर उक्त उप—धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व—अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

- (6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा—सम्बव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर—भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।
- (7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी काँ, पूर्व—अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।
- (8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।
- (9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया—नियमों का अनुसृत रखेगा जो विहित किए जाएँ।
- (10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का हास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अङ्गचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संरक्षा के विधि सम्बन्धित वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

34. अपील का प्ररूप — (1) राजरथान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कठित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या, रजिस्ट्रीकृत डॉक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

35. अपील फाइल करने के लिए फीस — (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

36. अपील के निपटारे की प्रक्रिया — (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।  
 • (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—

- (क) उसके समक्ष उपरिथित अपील के समर्स्त पक्षकारों को सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उपर्युक्त (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपायन पोर्टल पर भी दर्शित किया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी  
जिला / मौजिकरा विकास औषधि  
DPC Office, DPMSC, UDANIBHAR  
भण्डार गृह उत्तरपुरु

मैंने/ हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/ हम उपर्युक्त समर्स्त शर्तों से प्रतिवंशित रहूँगा/ रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर या मोहर

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव

फर्म का नाम व पता :-

वित्तीय निविदा

प्रपत्र "ब"

क्रम संख्या	सेवा का नाम/ श्रनिक की शैणों	अभिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित ल्यूटरन मजदूरी की दर से कम नहीं होगा भय संख्या			नियोक्ता का अंशताम		कुल राशि (5+6+7)	कम्प्यूटर विरत्या	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रु	GST दर प्रतिशत	कुल राशि (8+9+ 10+11)
1	20	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Computer with Operator (higher skilled)										

हस्ताक्षर निविदादाता

### निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई धाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'र'

FORM NO. 1 (See rule 33 of RTPPA)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of .....

Before the ..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant;

(ii) Official Address, if any;

(iii) Residential address;

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;

6. Ground of appeal:

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place ..... Date .....

Appellant's Signature